

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड, खण्ड-हनुमानगढ

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, मकान नं०- 9/58-59, राज० हाऊसिंग बोर्ड, हनुमानगढ जंक्शन

योजना की प्रारम्भ तिथि 12.12.2015

योजना की अन्तिम तिथि 31.12.2015

हनुमानगढ आवासीय योजना में खुली बिक्री योजना

पुरानी एवं नई हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ जंक्शन में किराया क्रय पद्धति/नगद भुगतान पद्धति के तहत मकान आवंटन हेतु खुली बिक्री योजना दिनांक 12/12/2015 से प्रारम्भ की जा रही है, इसमें उपलब्ध मकानों, इनकी लागत, पंजीकरण राशि, विकल्पानुसार मॉग राशि, मासिक किश्त, किश्तों की संख्या इत्यादि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मकानों का आय वर्ग, साईज (वर्गमीटर), प्लिंथ ऐरिया एवं मकान नम्बर/कुल संख्या	लागत (रु० में)	आवेदन पत्र के साथ डी.डी द्वारा देय पंजीकरण/पूर्व ग्रहण/प्रोसेस फीस राशि (रु० में)	आवंटन के उपरान्त कब्जा प्राप्ति से पूर्व अनुमानित देय राशि (रु० में)		मासिक किश्त एवं सर्विस टैक्स (3.625%) (रु० में)	किश्तों की संख्या
				नगद भुगतान पद्धति में	किराया क्रय पद्धति में		
1	2	3	4	5	6	7	8
पुरानी आवासीय योजना - हनुमानगढ							
1	HIG 11.25x21.00=236.25Sqm. Plinth Area = 101.76 Sqm 5/95 = 1 Nos.	39,82,400/-	2,22,000/-	39,36,698/-	18,45,630/-	32,950/- +1194/- 34144/-	156
नई आवासीय योजना - हनुमानगढ							
1	MIG-A 6.00x15.00=90Sqm. Plinth Area =56.180 Sqm 1A-16,1A-195,1B-21,1B-238= 4 Nos.	16,01,0100/-	91,000/-	15,77,874/-	5,72,751/-	14,744/- + 535/- 15,279/-	156
2	MIG-B 9.00x 18.00=162Sqm. Plinth Area =112.540 Sqm 1A-183,1A-188,1A-191,1B-85, 1B-86, 1B-87,1B-91,1B-127,1B-130,1B135 =10 Nos.	29,74,000/-	1,51,500/-	29,48,938/-	10,83,005/-	28,039/- +1016/- 29,055/-	156
3	HIG 10.00x20.00=200Sqm. Plinth Area =138.203 Sqm 1A-01,1A-07,1A-08,1A-09,1A-10, 1A-12,1A-13,1A-211,1A-212,1B-01, 1B-02,1B-04,1B-06,1B-07,1B-09, 1B-11,1B-258,1B-260,1B-261, 1B-262,1B-263 = 21 Nos.	34,83,500/-	2,22,000/-	34,14,371/-	15,49,112/-	28,821/- +1045/- 29,866/-	156

नोट:- 1. मकान आवंटन के उपरान्त कब्जे से पूर्व एक मुश्त देय राशि में मण्डल नियमानुसार ए.एस.सी. चार्ज, लीज राशि (एक वर्ष की पेशगी), किराया क्रय राशि एवं एक अग्रिम मासिक किश्त आदि सम्मिलित है, तथा उपरोक्त लागत के अलावा कार्नर चार्ज, अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि देय होगी।

2. सर्विस टैक्स की दर परिवर्तित होने पर अतिरिक्त सर्विस टैक्स राशि देय होगी।

Contd..2.. P.T.O.

—:खुली बिक्री योजना में मकान आवंटन के नियम व शर्तः—

- 1- कार्यालय आवासीय अभियन्ता, मकान संख्या -9/58-59, जेल के पीछे, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन में नक्शे लगा दिये गये हैं, ताकि मकान लेने वाले मकान की लोकेशन आसानी से देख सकें। साथ ही आवंटियों को मकान दिखाने की व्यवस्था भी की गई है।
- 2- खुली बिक्री योजना में आवंटित किये जाने वाले प्रतिदिन उपलब्ध मकानों के नम्बर नोटिस बोर्ड पर लगाये जायेगे, जिससे मकान लेने वाले आवंटियों को यह छूट होगी कि अपनी पसन्द का मकान लेने के लिए अपना विकल्प दे सकें।
- 3- खुली बिक्री योजना में प्रतिदिन उपलब्ध मकानों के लिए विकल्प/आवेदन पत्र शाम 4.00 बजे तक लिये जायेगें एवं मकानों का आवंटन उसी दिन लॉटरी द्वारा कर दिया जायेगा।
- 4- यदि मकान के लिए एक ही आवेदक है तो उसे वह मकान आवंटित कर दिया जायेगा, तथा एक से अधिक आवेदकों के होने पर लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा।
- 5- यदि किसी मकान का विकल्प/आवेदन पत्र देने वालों में पंजीकृत आवेदक भी सम्मिलित है तो आवंटन में पंजीकृत आवेदकों को वरियता दी जायेगी। यदि एक ही पंजीकृत आवेदक है तो वह मकान उसी को आवंटित किया जायेगा। यदि एक से अधिक पंजीकृत आवेदक हो तो पंजीकृत आवेदकों के बीच में लॉटरी कर मकान का आवंटन किया जायेगा।
- 6- मकान आवंटन लॉटरी में असफल आवेदकों का जमाशुदा पंजीकरण राशि का डी.डी. तुरन्त वापिस लौटा दिया जायेगा, यदि आवेदक इस डी.डी. को उसी दिन आवंटन से शेष रहे किसी अन्य मकान के लिए उपयोग में लेना चाहे तो ऐसा करने के लिए उसे छूट दी जायेगी, इस विशेष परिस्थिति में एक मकान के लिए अधिक आवेदक होने पर मकान का आवंटन लॉटरी द्वारा ही किया जायेगा।
- 7- नगद भुगतान पद्धति पर आवास चाहने वाले आवेदकों को किराया क्रय पद्धति के आवेदकों से प्राथमिकता दी जायेगी।
- 8- किराया क्रय पद्धति में एक आवेदक एक आवास ही क्रय कर सकेगा, परन्तु एक से अधिक मकान नगद भुगतान पद्धति पर ही आवंटित किये जायेगें।
- 9- आवंटन पत्र की मॉग राशि नियत अवधि एक/तीन माह में जमा नहीं करवाने पर मकान का आवंटन रद्द कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10- आवेदन फार्म में आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो एवं हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- 11- आवेदक को आवेदन फार्म के साथ तालिका के कॉलम संख्या 4 में अंकित देय राशि का बैंक ड्राफ्ट **"राजस्थान आवासन मण्डल"** के पक्ष **हनुमानगढ** में देय बनवाकर जमा करवाना होगा।
- 12- मकान **"जहाँ है जैसा है (As is where is basis)"** के आधार पर आवंटित कर मकान का उसी स्थिति में कब्जा सुपुर्द किया जायेगा।
- 13- आवासों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
- 14- किराया क्रय पद्धति में आवंटित मकानों के लिए गारन्टर के नाम से 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर गारन्टी एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करना होगा।
- 15- इस योजना की प्रारम्भ दिनांक 17.12.15 से आवेदन फार्म आवासीय अभियन्ता, हनुमानगढ के कार्यालय से रुपये 300/- नगद भुगतान कर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकेंगें।

—: सम्पर्क सूत्र :-

कार्यालय
आवासीय अभियन्ता/परि0अभियन्ता(वरिष्ठ)
मकान नं0- 9/58-59,रा.हा.बोर्ड कॉलोनी
जेल के पीछे, हनुमानगढ जं
फोन नं0-01552-244318 (कार्यालय)
फोन नं0-01552-244176 (कार्यालय)

याद रहे, योजना की अन्तिम तिथि 31.12.2015 है

